राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांव्दारे कार्यान्वित उपाययोजनांचा शासकीय/ जिल्हा परिषद/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरीता वापर करण्याबाबत.

# महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-११२५/प्र.क्र.२५३/एसएम -१,

मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय मुंबई ४००० ३२ दिनांक: १६ एप्रिल २०२५

# शासन परिपत्रक

### वाचा:

- १) नियोजन विभाग डिएपी-१०२३/ प्र.क्र.३६३/ का.१४८१, दि. १०.११.२०२३
- २) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय जिवायो-२०२१/ प्र.क्र४०/ एसएम-४, दि.१३.०५.२०२२
- 3) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र.जिवायो-२०२२/प्र.क्र.४०/ एसएम-४, दि.०९.०६.२०२२
- ४) नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक क्र.मग्रारो-२०२०/ प्र.क्र.७५/ रोहयो- ७, दि.१.१२.२०२०
- ५) शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१३७/रोहया-०६, दि.२५.७.२०२३
- ६) पाणी पुरवटा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११३/ (भाग-३)/ पापु ०७, दि.१३.०१.२०२१
- ७) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय-क्र.जिपऊ २०१८/प्र.क्र.५४/वित्त-३, २५ जून २०१८
- ८) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०१२४/ प्र.क्र.१०/उ-९, दि.११.१०.२०२४
- ९) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय पंकिआ-२०२४/ प्र.क्र. ११८/वित्त-४, दि.०६.०९.२०२४

## <u>प्रस्तावना</u>

शासकीय/ जिल्हा परिषद/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि पुरेशा प्रमाणात भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दूण्यासाठी सांगली जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने "माझी शाळा आदर्श शाळा" हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविला आहे. सदरील उपक्रमांतर्गत भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता व लोकसहभाग या बाबींवर विशेष भर देऊन उपक्रम केलेला आहे.

तसेच मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१३.०१.२०२४ रोजीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हा नियोजन समिती, मनरेगा, सेस निधी, क्रीडा विभाग निधी, स्थानिक विकास निधी, सेवाभावी संस्था, समाज कल्याण, आदिवासी विकास विभाग, सीएसआर, गौणखणिज, लोकसहभाग, जलजीवन मिशन, १४ वा व १५वा वित्त आयोग इ. विविध

योजनांद्वारे कार्यान्वित उपाययोजनांचा शासकीय/ जिल्हा परिषद/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरीता वापर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

### शासन परिपत्रक -

शासकीय/ जिल्हा परिषद/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या स्थानिक गरजांनुसार अपेक्षित पायाभूत सुविधा खालील प्रमाणे आहेत.

- १) नवीन वर्गखोल्या बांधकाम
- २) शाळा दुरुस्ती मोठी व किरकोळ दुरूस्ती
- ३) शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे
- ४) नवीन स्वच्छतागृह बांधकाम
- ५) शाळा स्वच्छतागृह दुरुस्ती
- ६) हँड वॉश स्टेशन उभारणी
- ७) नवीन संरक्षक भिंत बांधकाम
- ८) संरक्षक भिंत दुरुस्ती.
- ९) क्रीडांगण विकास.
- १०) सोलर पॉवर पॅनल बसविणे.
- ११) घनकचरा व्यवस्थापन.
- १२) स्वयंपाक गृह / किचन शेड
- १३) किचन गार्डन / परसबाग
- १४) वृक्षारोपण / वृक्ष लागवड.
- १५) स्वागत कमान / प्रवेशद्वार
- १६) पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे
- १७) रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
- १८) क्रीडा साहित्य खरेदी (वयोगटानुसार).
- १९) ग्रंथालय पुस्तक खरेदी (वयोगटांनुसार
- २०) प्रयोगशाळा साहित्य (इयत्तेनुसार).
- २१) संगणक, स्मार्ट टीव्ही, प्रोजेक्टर, लॅपटॉप इंटरॅक्टीव्ह बोर्ड ,ई- लर्निंगसाठी उपयुक्त साहित्य खरेदी
- २२) फर्निचर वर्ग, कार्यालय, प्रयोगशाळा. ग्रंथालय, संगणक कक्ष व बाहा परिसरासाठी.
- २३) दिव्यांग बालकांसाठी शौचालय कमोड टॉयलेट रॅम्प हॅण्डलरसहित रिनंग वॉटर सोय करणे.
- २४) शालेय इमारतीच्या अंतर्बाहय तसेच शाळा संरक्षक भिंतीचा पृष्ठभाग Building As a Learning Aid या संकल्पनेतून अध्ययन पूरक आशयाचे रंगरंगोटी.

या भौतिक सुविधा दर्जेदार शिक्षणाच्या दृष्टीकोनातुन आवश्यक असुन या सुविधांच्या विकसनाकरीता राज्य शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या खाली नमूद योजनांचा कल्पकतेने वापर केल्यास शाळांमधील भौतिक सुविधांचा विकास सुलभतेने करणे शक्य होणार आहे.

या विविध योजना व त्याव्दारे विकसीत करता येणाऱ्या भौतिक सूविधा खालील प्रमाणे आहेत.

| अ.क्र | योजनेचे नांव | शासन निर्णय                 | उपक्रमाचे नाव                                  |
|-------|--------------|-----------------------------|--|
| 9     | जिल्हा       | डिएपी-१०२३/ प्र.क्र.३६३/    | जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)              |
|       | नियोजन समिती | का.१४८१, दि. १०.११.२०२३     | अंतर्गत राबवावयाच्या जिल्हास्तरीय              |
|       |              | ( नियोजन विभाग)             | योजनांबाबत.                                    |
|       |              |                             | १. शासकीय/ जिल्हा परिषद/                       |
|       |              |                             | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील       |
|       |              |                             | प्राथमिक/माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग         |
|       |              |                             | खोली विशेष दुरूस्ती/ स्वच्छतागृह दुरूस्ती.     |
|       |              | नियोजन विभागाच्या या        | २. शासकीय/ जिल्हा परिषद/                       |
|       |              | शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने  | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील       |
|       |              | शालेय शिक्षण विभागाचा       | प्राथमिक/माध्यमिक शाळांची इमारत व              |
|       |              | शासन निर्णय जिवायो-         | वर्गखोली बांधकाम /स्वच्छतागृह बांधकाम/         |
|       |              | २०२१/ प्र.क्र४०/ एसएम-४,    | दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह |
|       |              | दि.१३.०५.२०२२               | बांधकाम/पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/ शालेय      |
|       |              |                             | स्वच्छता/ वाचनालय/ बोलक्या भिंती निर्माण       |
|       |              |                             | करणे/ जि.प.च्या माध्यमिक शाळेतील               |
|       |              |                             | विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम/    |
|       |              |                             | शाळेतील क्रिडांगण/ पटांगण सुविधा निर्माण       |
|       |              |                             | करणे/ जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील           |
|       |              | वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना  | प्राथमिक/माध्यमिक शाळांना संरक्षण भिंत         |
|       |              | (DPC) अंतर्गत शालेय व       | उभारणे.  |
|       |              | क्रीडा विभागाशी संबंधित     | ३. आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत              |
|       |              | योजनांची पुर्नरचना करून     | सुविधा निर्माण करणे.                           |
|       |              | त्यासाठी किमान ५ टक्के      | ४.विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक                    |
|       |              | निधी राखीव ठेवण्याबाबत      | प्रयोगशाळा, डिजीटल शाळा,/ इंटरनेट/             |
|       |              | सुस्पष्ट तरतूद              | वाय फाय सुविधा निर्माण करणे                    |
|       |              |                             | ५. किंडांगणाचा विकास.                          |
|       |              |                             |  |
|       |              |                             |  |
|       |              | तसेच शासन निर्णय            | १) नैसर्गिक आपत्तीमुळे अथवा कालबाह्य           |
|       |              | क्र.जिवायो-२०२२/प्र.क्र.४०/ | झाल्यामुळे शाळेची इमारत / वर्गखोली             |
|       |              | एसएम-४,दि.०९.०६.२०२२        | दुरुस्ती करणे अथवा नव्याने बांधकाम करणे.       |
|       |              | शालेय शिक्षण                | २) शाळेमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व |
|       |              | विभागाव्दारे अतिरिक्त       | स्वतंत्र स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे.          |
|       |              | तरतूदी                      | 3) शालेय विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची   |

|   |        |                             | सुविधा करण्याकरीता टाकी बांधणे अथवा           |
|---|--------|-----------------------------|---|
|   |        |                             | जलशुध्दीकरण यंत्र उपलब्ध करून देणे,           |
|   |        |                             | हात स्वच्छ करणेकरीता हॅन्डवॉश स्टेशन          |
|   |        |                             | (Handwash Station) बांधणे.                    |
|   |        |                             | ४) त्रयस्त संस्थेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध       |
|   |        |                             | करुन घेऊन शाळा व शाळेचा परिसर                 |
|   |        |                             | नियमितपणे स्वच्छ करणेकरीता व्यवस्था           |
|   |        |                             | करणे.   |
|   |        |                             | ५) शालेय विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी निर्माण |
|   |        |                             | होणेकरीता सुसज्ज वाचनालय व सर्व               |
|   |        |                             | विषयांशी संबंधित पुस्तके वाचनालयाकरीता        |
|   |        |                             | उपलब्ध करणे.                                  |
|   |        |                             | ६) शासकीय/ जिल्हा परिषद/ स्थानिक              |
|   |        |                             | स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील                |
|   |        |                             | वर्गखोल्यातील जागेचा पुरेपुर वापर             |
|   |        |                             | होण्याच्या दृष्टीने विविध सुविधा उपलब्ध       |
|   |        |                             | करून देणे. (उदा. दप्तर ठेवण्यासाठी            |
|   |        |                             | मांडणी/रॅकची व्यवस्था इ.)                     |
|   |        |                             | ७) शासकीय/ जिल्हा परिषद/ स्थानिक              |
|   |        |                             | स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सोलर यंत्रणा  |
|   |        |                             | उभारणी करणे.                                  |
| २ | MREGS  | नियोजन (रोहयो) विभाग        | १) शाळेसाठी किचन शेङ                          |
|   | मनेरगा | शासन परिपत्रक क्र.मग्रारो-  | २) शाळा/अंगणवाडीच्या इमारतीसाठी               |
|   |        | २०२०/ प्र.क्र.७५/ रोहयो- ७, | रेन वॉटर हारवेस्टींग संरचना.                  |
|   |        | दि.१.१२.२०२०                | ३) शाळा/अंगणवाडीच्या परिसरात                  |
|   |        | महात्मा गांधी               | शोषखड्डा.                                     |
|   |        | रोजगार हमी योजनेच्या        | ४)    शाळा/ अंगणवाडीसाठी Muiti–unit           |
|   |        | माध्यमातून जिल्हा परिषद     | शौचालय  |
|   |        | शाळांचा आणि                 | ५) शाळा/ अंगणवाडी खेळाचे मैदान                |
|   |        | अंगणवाड्यांचा भौतिक         | ६) शाळा/ अंगणवाडीला संरक्षक भिंत              |
|   |        | विकास करून त्याचा           | ७) वृक्ष लागवड (बिहार पॅटर्न)                 |
|   |        | शैक्षणिक कामांकरीता         | ८) आवश्यकतेनुसार शाळा/                        |
|   |        | उपयोग करण्याबाबत.           | अंगणवाडीच्या परिसरात पेविंग                   |
|   |        |                             | ब्लॉक   |
|   |        |                             | ९) शाळा/ अंगणवाडीच्या परिसरात /               |
|   |        |                             | बाहेर कांक्रिट नाली बांधकाम                   |
|   |        |                             | १०) शाळा/अंगणवाडीकडे येणारे रस्ते             |

|   |                                      |   | गुणवत्तापूर्ण करणे.<br>११) बोअरवेल पुनर्भरण (शाळा/<br>अंगणवाडीत बोअरवेल असल्यास)<br>१२) गांडूळ खत प्रकल्प (यामध्ये तयार<br>होणारे गांडूळ खत शाळा/<br>अंगवाडीच्या परिसरातील<br>झाडांसाठी वापरता येईल) |
|---|--------------------------------------|---|--|
|   |                                      |   | १३) नाडेप कंपोस्ट.   |
|   |                                      | शासन निर्णय<br>क्र.मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१३७<br>/रोहया-०६, दि.२५.७.२०२३  | शाळा /अंगणवाड्यांच्या संरक्षक<br>भिंतीचे काम   |
|   |                                      | महात्मा गांधी राष्ट्रीय<br>ग्रामीण रोजगार हमी<br>योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत   |  |
|   |                                      | राज्यातील सर्व शाळांमध्ये<br>संरक्षक भिंतीची कामे<br>घेणेबाबत.  |  |
| 3 | शेष निधी<br>(उपकर)                   | जिल्हा परिषद  | जिल्हा परिषद उपकरामधुन वर्गखोल्यांची<br>दुरूस्ती   |
| 8 | क्रिडा विभाग<br>निधी                 | 9)जिवायो-२०२१/प्र.क्र४०/<br>एसएम-४,दि.१३.०५.२०२२<br>२)जिवायो-२०२२/प्र.क्र.४० /<br>एसएम - ४, दि.०९.०६.<br>२०२२         | शालेय विद्यार्थ्यांना विविध क्रीडा प्रकाराबाबत<br>गोडी निर्माण करण्याकरीता शाळेमध्ये<br>क्रीडांगण/पटांगण निर्माण करणे व आवश्यक<br>क्रीडासाहित्य उपलब्ध करुन देणे                                     |
| ч | स्थानिक<br>विकास निधी<br>(निती आयोग) | मा.आमदार फंड, व खासदार<br>फंड   | वर्गखोली बांधकाम, शाळा दुरूस्ती<br>स्वयंपाकगृह, सी.सी.टी.व्ही.   |
| ધ | जलजीवन<br>मिशन                       | पाणी पुरवठा व स्वच्छता<br>विभाग शासन निर्णय क्रमांक<br>जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११३/<br>(भाग-३)/ पापु ०७,<br>दि.१३.०१.२०२१ | सर्व ग्रामीण शाळा व अंगणवाडी यांना<br>नळजोडणीव्दारे शुध्द पेयजल उपलब्ध<br>करून देण्याबाबत.   |

|    |              | जल जीवन मिशन                     |   |
|----|--------------|----------------------------------|---|
|    |              | अंतर्गत १०० दिवसांचे विशेष       |   |
|    |              |                                  |   |
|    |              | अभियान. सर्व ग्रामीण             |   |
|    |              | शाळांना शुध्द पेयजल              |   |
|    |              | उपलब्ध करून                      |   |
|    |              | देण्याबाबतची कार्यपध्दती         |   |
| 0  | समाजकल्याण   | ग्राम विकास विभाग                | दिव्यांग विद्यार्थ्याकरीता अनुरूप स्वच्छतागृह |
|    |              | शासन निर्णय-क्र.जिपऊ             | बांधकाम.                                      |
|    |              | २०१८/प्र.क्र.५४/वित्त-३, २५      |   |
|    |              | जून २०१८                         |   |
|    |              | पंचायत राज                       |   |
|    |              | संस्थांनी त्यांच्या              |   |
|    |              | स्वउत्पन्नातुन ५ % निधीतुन       |   |
|    |              | घ्यावयाच्या अपंग                 |   |
|    |              | कल्याणासाठी योजना व              |   |
|    |              | <br>  खर्चाबाबत मार्गदर्शक सुचना |   |
| 2  | गौण खनिज     | उद्योग, ऊर्जा व                  | शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था            |
|    |              | कामगार विभाग शासन                | 5   |
|    |              | निर्णय क्र.डीएमएफ-०१२४/          |   |
|    |              | प्र.क्र.१०/उ-९,                  | हस्त कौशल्य वर्ग, स्वच्छता गृह पिण्याची       |
|    |              | दि.११.१०.२०२४                    | पाण्याची तरतूद, क्रिडा पायाभूत सुविधा.        |
|    |              | जिल्हा खनिज                      | वान्याया रारसूय, १४७७। वायापूरा सुविधाः       |
|    |              | प्रतिष्ठान अंतर्गत               |   |
|    |              | राबविण्यात येत असलेल्या          |   |
|    |              |                                  |   |
|    |              | प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र        |   |
|    |              | कल्याण योजनेच्या                 |   |
|    |              | अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने         |   |
|    |              | सुधारित मार्गदर्शक सूचना         |   |
| 8  | लोकसहभाग     | _                                | सक्रीय लोकसहभागातुन शाळांमधील                 |
|    |              |                                  | भौतिक सुविधांची दूरूस्ती/ विकासाची कामे       |
|    |              |                                  | करणे व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था     |
|    |              |                                  | करणे.   |
| 90 | १४ व व १५ वा |                                  | 5 ,   |
|    | वित्त आयोग   | निर्णय पंकिआ-२०२४/ प्र.क्र.      | हार्वेस्टिंग.                                 |
|    |              | ११८/वित्त-४,                     |   |
|    |              | दि.०६.०९.२०२४                    |   |
|    |              |                                  |   |
|    | l            | L                                |   |

| 99 | आदिवासी     | राज्यस्तरीय व केंद्रस्तरीय  | वर्गखोली बांधकाम, शाळा दूरूस्ती,         |
|----|-------------|-----------------------------|--|
|    | विकास विभाग | विविध योजनामधुन             | सिसिटिव्ही, संगणक.                       |
| 92 | CSR Fund    | शालेय शिक्षण व              | शाळेच्या कार्यक्षेत्रात येणा-या खाजगी    |
|    |             | क्रिडा विभाग शासन निर्णय    | कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी संपर्क साधून CSR |
|    |             | क्र.संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.४४ | फंडातून शाळेमध्ये भौतीक सुवीधा           |
|    |             | /एसडी-६, दि.१८ सप्टेंबर     | सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे               |
|    |             | २०२३.                       |  |
|    |             | दत्तक शाळा योजना            |  |
|    |             | राबविण्याबाबत.              |  |

उपरोक्त नमूद विविध योजनांमधली तरतूदींचा वापर करून जिल्हातील शासकीय/जिल्हा परिषद/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील भौतिक सुविधांचा विकास करण्याकरीता संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांकडे प्रस्ताव सादर करण्याची व अंमलबजावणीची कार्यवाही शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) यांनी करावी.

शाळापातळीवर विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती मार्फत या कामांची अंमलबजावणी व नियंत्रण करण्यात येईल.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२५०४१६१६१७०००३२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

( विजय भोसले ) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

#### प्रत:

- १) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव.
- २) मा.उपमुख्यमंत्री ( नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव
- ३) मा. उपमुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन) महोदयांचे खाजगी सचिव.
- ४) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव,
- ५) सर्व मा.मंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव.
- ६) मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) महोदयांचे खाजगी सचिव,
- ७) सर्व राज्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव,
- ८) सर्व विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य

- ९) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक,
- १०) सर्व विभागीय आयुक्त,
- ११) शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
- १२) सर्व जिल्हाधिकारी,
- १३) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १४) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १५) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक.
- १६) सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक. (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
- १७) निवड नस्ती/एसएम-१